भारत पाँच रुपये 5 रु. COURT FEE — INDIA Rs.5 FIVE RUPEES

विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल बोर्ड ग्वालियर (म० प्र०)

निग /4537-II-15

रामा यादव पुत्री दलपत यादव उम्र लगभग 55 वर्ष
साकिन ग्राम पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) == निगरानीकर्ता/आवेदिका

श्री G P Nayak Adv. द्वारा आज दि. 17-12-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

|| विरुद्ध ||

म० प्र० शासन == उत्तरवादी/अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत निगरानी धारा - 50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता :-

आवेदिका/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1) यह कि, उक्त निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ-19(3) वर्ष 2001-02 में पारित आदेश दिनांक 21/12/2001 जो कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा पारित किया गया है से दुखी होकर यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जा रही है ।

Vakalatnama 17.12.15 G.P. Nayak Adv.

-: प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :-

1) यह कि, निगरानीकर्ता की मां पूनाबाई पत्नि दलपत यादव को प्र० क्रं० - 15 ए/1913 वर्ष 1988-89 में आदेश दिनांक 15/03/1988 के तहत मौजा पलेरा हार खसरा नंबर क्रमशः 1490/3 ब, 1518/2-क, 1518/2-क/1, 1806/2215 एवं 1622/2216/2 म०प्र०शासन द्वारा व्यवस्थापन्न से प्राप्त हुयी थी जिसका रकवा क्रमशः 0.304, है0, 0.271 है0, 0.0209 है0, 0.930 है0, 0.166 है0 है । जिसका जिक्र तहसील पलेरा के प्रकरण क्रमांक 43 ए-6 ए वर्ष 2009-10 का प्रतिवेदन क्रमशः आदेश पत्रिका संलग्न है जो कि दिनांक 14/07/2010 से लगायत 20/01/11 तक है जो एनेक्जर क्रमांक 1 से 3 तक है।

2) यह कि, तहसीलदार पलेरा के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकार जतारा द्वारा विचारण दौरान प्रकरण दर्ज किया जो कि प्रकरण क्रमांक 39/बी-121 वर्ष 10-11 आदेश पत्रिका दिनांक 12/02/11 है जो कि एनेक्जर-04 है जो कि कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को प्रेषित किया गया था कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ द्वारा बिन्दुवार जानकारी हेतु आदेश पारित किया गया था जो कि आदेश पत्रिका दिनांक 23/04/11 है जो एनेक्जर-5 है ।

रामा

..2.

(11)

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 4037 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
17.12.16	कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 21–12–2001 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। आवेदिका के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर को निगरानी मेमो पर सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश दिनांक 21–12–01 के विरूद्व यह निगरानी लगभग 14 वर्ष के अन्तर से प्रस्तुत है परन्तु आवेदका के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक के स्वामित्व की भूमि दूर संचार विभाग को देने के पूर्व न तो आवेदिका को सूचना पत्र जारी किया गया है और न सुनवाई का अवसर दिया गया है और न ही उसे पक्षकार बनाया गया है, जिसके कारण आवेदिका को कलेक्टर के आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। कलेक्टर के आदेश की जानकारी उसे पटवारी व्दारा जमीन खाली करने एंव कलेक्टर व्दारा जमीन लेने की बात बताने पर माह नवम्बर के अंत में हुई तब कागजात की नकलें लेने एंव पुराने कागज ढूँढ़ने में समय लगने	

से यह निगरानी ग्वालियर आकर समयावधि में प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा–5 के आवेदन में दिये गये विवरण पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है क्योंकि महिला 55 वर्षीय एंव पर्दानसीन तथा अधिक पढ़ी लिखी न होना बताया गया है जिसके कारण विलम्ब का विवरण सदभाविक होने से क्षमा योग्य है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदिका की स्वर्गीय मॉ पूनावाई पत्नि दलपत यादव को तहसीलदार पलेरा ने प्रकरण कमांक 15 अ–19/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 15–3–88 से ग्राम पलोहार की भूमि सर्वे कमांक 1430/3 ब रकबा 0.304 है., सर्वे नंबर 1518/2 क रकबा 0.271 हैक्टर, सर्वे नंबर 1518/2–क/1 रकबा 0.209 हैक्टर, 1806/2215 रकबा 0.930 हैक्टर, सर्वे नंबर 1622/2216/2 रकबा 0.166 हैक्टर व्यवस्थापित की गई थी, किन्तु व्यवस्थापन उपरांत पटवारी ने अभिलेख में अमल नहीं किया। अपर कलेक्टर के समक्ष वस्तुस्थिति आने पर उन्होंने प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2013 से भूमि व्यवस्थापिती तदुपरांत उसकी उत्तराधिकारी रामा पुत्री दलपत यादव का नाम पटवारी रिकार्ड में अमल करने के आदेश दिये जिसके पालन में तहसीलदार पलेरा ने आदेश

प्रकरण कमांक 4037 –दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	दिनांक 20–6–13 से पटवारी रिकार्ड दुरूस्त कराने के निर्देश दिये एंव आवेदिका का नाम ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर प्रविष्टि दिनांक 28–8–13 प्रस्तुत होने पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 29–8–13 से नामान्तरण का अमल स्वीकार किया है। 4/ अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2013 के पालन में खसरा नंबर 1490/3 ब रकबा 0.304 हैक्टर का अमल करना छूट जाने से अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 359/2013–14 अ–19 प्रस्तुत हुई एंव आदेश दिनांक 11.3.2014 से इस सर्वे नंबर की भूमि पर भी रामा पुत्री दलपत यादव का नाम दर्ज करने के आदेश हुये हैं। 5/ प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2013 तथा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील कमांक 359/2013–14 अ–19 में पारित आदेश दिनांक	

11.3.2014 एंव ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 1 पर प्रविष्टि दिनांक 28-8-13 पर तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 29-8-13 से आवेदिका के हित में किया गया नामान्तरण अपील/निगरानी के अभाव में तीनों ही आदेश अंतिम रूप ले चुके है इसके वाद भी आवेदिका की भूमि सर्वे कमांक 1806/2215 के रकबा 0.202 हैक्टर के रकबा को कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 2 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2001 से दूरभाष केन्द्र की स्थापना हेतु आरक्षित किया है, जिसमें आवेदिका को न तो सूचना दी गई और न ही सुनवाई का एंव बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इस प्रकार कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 21-12-2001 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 2 अ-19/2001-02 में पारित आदेश दि. 21-12-2001 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य